

प्रमाण-पत्र
CERTIFICATE
PART/300/4/8057/2007

No. A 0141 /CHD/



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

Government of India
MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

प्रमाण-पत्र

CERTIFICATE

[नियम 10(2) देखिए]


[See rule 10(2)]

विदेशी नियोजकों के साथ भारतीय कर्मचारों के नियोजन के लिए भर्ती का कारोबार प्रारम्भ करने या चलाने के लिए उल्लेख अधिनियम, 1983 की धारा 10 के अधीन प्रमाण-पत्र की मंजूरी के लिए तारीख के आवेदन के संबंध में मैमर्स को उक्त प्रमाण पत्र दिया जाता है जो इस प्रमाण-पत्र के जारी किए जाने की तारीख से निम्नलिखित विवन्धन और शर्तों के अधीन प्रभावी होगा:-

With reference to the application dated 01-05-2007 for grant of a Certificate under Section 10 of the Emigration Act, 1983 to commence or carry on the business of recruitment for deployment of Indian workers with foreign employers, M/s Taurus International is hereby granted the said certificate effective from the date of issue of this certificate, subject to the following terms and conditions, namely:

- Mg. Partner: Col. Kulwinder Singh (Rtd.)
- यह कि कारोबार का संचालन किया जाएगा
 - that the business shall be conducted at 300-308, Sector-38-D, Chandigarh
 - यह कि प्रमाण-पत्र वर्ष की कालावधि के लिए या कर्मचारों की भर्ती पूरी हो जाने तक इन दोनों में से जो भी पहले हो, वैध है। विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व विनिर्दिष्ट संख्या में भर्ती पूरी हो जाने की रकम में प्रमाण पत्र धारक को वास्तविक मांग का साथ में किए जाने पर और नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन अतिरिक्त प्रतिभूति देने पर प्रमाण-पत्र की समाप्ति तक भर्ती चालू रखने के लिए अनुज्ञा किया जा सकता है;
 - that this certificate is valid for a period of 4 Years or till the completion of the recruitment of 300 workers whichever is earlier. In the event of the recruitment of the specified number getting completed before the specific period, the holder of the certificate can be permitted to continue recruitment upto the expiry of the certificate on production of evidence of actual demand and on furnishing additional security under sub-rule (2) of rule 8;
 - यह कि प्रमाण पत्र धारक कारोबार का संचालन अपने हस्ताक्षर और निदेशक/भागीदार/स्वत्वधारी की मोहर से करेगा तथा प्रमाण-पत्र हस्तांतरणीय नहीं होगा;
 - that the holder of the certificate shall conduct business under signatures and seal of the director/partners/proprietor and the certificate shall not be transferable;
 - कि इस पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक फोटोप्रति व्यवसाय परिसर के उचित स्थान पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित एक प्रति भी जिस पर यह पृष्ठांकित हो कि भर्ती एजेंट को अन्य स्थान पर व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, यदि कोई हो, ऐसे शाखा कार्यालय के व्यवसाय परिसर के उचित स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी। उल्लेख प्राधिकारियों/कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों तथा नियोजक द्वारा मांगे जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
 - that a photocopy of this registration certificate shall be prominently displayed at a conspicuous place in the premises of the business. Also a copy attested by the registering authority with an endorsement of having authorised the recruiting agent to carry on the business at additional premises, if any, shall be displayed at conspicuous place in the business premises of such Branch Office. Original Certificate shall be produced on demand by the emigration authorities/law-enforcing authorities and employer.
 - यह कि प्रमाण पत्र धारक सामान्यतः अपने कारोबार का संचालन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में उपरिस्थित स्थान से करेगा। आवेदन में उपरिस्थित स्थान से भिन्न किसी स्थान पर कोई भर्ती केंद्र खोलने के लिए प्रमाण पत्र धारक को रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा;
 - that the holder of the certificate shall normally conduct the business from the place indicated in the application for registration. For opening a Recruitment center at a place other than the place indicated in the application, the holder of the certificate has to obtain the prior approval of the Registering Authority.
 - यह कि प्रमाण पत्र धारक अपने कारोबार के संचालन या संव्यवहार के प्रयोजन के लिए उप अधिकारों को नियोजित नहीं करेगा;
 - that the holder of the certificate shall not employ sub-agents for the purpose of conducting or carrying on his business.
 - यह कि प्रमाण-पत्र धारक उल्लेख स्थानों से विहित फीस से अधिक प्रयोजित नहीं करेगा और विहित मानक मजदूरियों का भी पालन करेगा;
 - that the holder of the certificate shall not charge more than the prescribed fee from the emigrants and also adhere to prescribed standard wages.

रूप में इराक में नहीं भेजा जाएगा ।
RA shall ensure that no emigrant is
deployed by him/her directly or



प्ररूप-5
FORM-V

20.12.07

Director General of Emigrants,
Ministry of Overseas Indian Affairs,
Government of India,
New Delhi

